

बन्दियों के जेल कैदीन खाते में ऑनलाइन (इंटरनेट के माध्यम से) पैसे भेजने का सही तरीका:-

1. सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर/गुगल क्रोम/मोजिला फ़ायरफ़ॉक्स खोलकर उसमें "cdservice.in" भरें और खोज करें।
2. "Haryana Prison-Commissary Deposit" साइट खुल जायेगी और इसमें:-
नया खाता खोलने के लिए:-
क. बन्दी से मुलाकात करने वाले का नाम दर्ज करें।
ख. मुलाकाती के लिंग भेद का चुनाव करें।
ग. यदि कोई मेल आई.डी. है तो दर्ज करें (ये वैकल्पिक है)।
घ. अपना मोबाईल नंबर दर्ज करें (जो बन्दी ने एस.टी.डी. में अपने परिवार से बात करने के लिए नंबर पंजीकृत करवाया है या मुलाकात के समय मुलाकाती का जो नंबर पंजीकृत है)।
ङ. पासवर्ड दर्ज करें (अपनी पसंद का)।
च. फिर से पासवर्ड दर्ज करें (पहले जो दर्ज किया है वही)।
छ. रजिस्टर पर क्लिक करें।
यदि उपर्युक्त चरण सही हैं तो आपको पंजीकृत मोबाईल पर एक 06 अंकों का ओ.टी.पी. जायेगा, आपके मोबाईल नंबर को जाँचने हेतु।
06 अंकों का ओ.टी.पी. दर्ज करें (ओ.टी.पी. बाक्स में) और वेरिफाइड पर क्लिक करें।
यदि आपका ओ.टी.पी. सही है तो एक संदेश ("Your Mobile Number is verified") दिखाई देगा। (इसका अर्थ है कि आपका खाता/आई.डी. बन गया है)।
3. इसके बाद नये/पुराने खाताधारक "Login" पर क्लिक करें और प्रयोक्ता नाम (User Name) मतलब मोबाईल नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करें और "Login" पर क्लिक करें।
4. आपका खाता/आई.डी. खुलने के बाद रजिस्टरड परिजनर पर क्लिक करें।
5. जो भी बन्दी इस आई.डी./मोबाईल नंबर पर रजिस्टर होगा वह दिखाई देगा, अंत में पे(PAY) पर क्लिक करें।
6. बन्दी का विवरण चेक करें व आखरी बाक्स में राशि भरें और "Proceed to Pay" पर क्लिक करें।
7. आपका ATM(Debit)/Credit Card जिस बैंक का है उसका चुनाव Pay With वाले बाक्स में करें (अर्थात यदि HDFC का है तो HDFC Bank ATM(Debit)/Credit Card या किसी अन्य बैंक का है तो Other Bank ATM(Debit)/Credit Card का चुनाव करें) तथा मांगी गयी जानकारी हर बाक्स अनुसार ध्यानपूर्वक भरें और "Pay Now" पर क्लिक करें।
यदि आप द्वारा भरी गयी उपरोक्त जानकारी सही है तो आपके बैंक ने पंजीकृत मोबाईल पर एक ओ.टी.पी. जायेगा, आपकी जानकारी को जाँचने हेतु।
ओ.टी.पी. दर्ज करें (ओ.टी.पी. बाक्स में) और "Make Payment/Submit" पर क्लिक करें।
अंत में एक संदेश दिखाई देगा कि आप द्वारा किया गया भुगतान पूरा हुआ या नहीं।

विशेष सुचना:- 1. सभी मुलाकातियों से अनुरोध है कि आपके बैंक में जो मोबाईल नंबर पंजीकृत हो वही मोबाईल नंबर आप मुलाकात/STD पर (जेल के अंदर) दर्ज करवायें।
2. आप सभी को ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस बैंक खाते के ATM(Debit)/Credit Card से बन्दी के खाते में पैसे जमा करवायेंगे, तो बन्दी की रिहाई के समय उसके कैदीन खाते में शेष बचा हुआ पैसा उसे नकद नहीं दिया जायेगा। ये बकाया पैसा उसी बैंक खाते में वापस भेजा जायेगा, जिससे जमा करवाया गया था। अन्य किसी माध्यम से बकाया राशि वापिस नहीं की जायेगी, इसमें कोई कमी/गलती होती है तो इसके लिए जेल प्रशासन किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

Endst No.

41803

Dated

17/09/2018

A copy is forwarded to all the Superintendents Jail in Haryana necessary action please.



I.G Prisons

for Director General of Prisons, Haryana

